न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिलाबून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–141/2018

GCMS NO:- 2018/00259

दायर दिनांक: 16.10.2018

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

भंवरलाल पुत्र छोटूलाल जाति नाई निवासी डोकून तहसील नैनवॉ जिला बून्दी ।

– वादी

बनाम

1. शोराज पुत्र कस्तुरा जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया तहसील नैनवॉ जिला बून्दी ।
2. दिलखुश पुत्र शोराज जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया तहसील नैनवॉ जिला बून्दी ।
3. तुलसा बाई पत्नी शोराज जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया तहसील नैनवॉ जिला बून्दी ।

––प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 183 आर.टी एक्ट

उपस्थितिः–

वादी के अभिभाषक श्री हरिनारायण स्वामी।

निर्णय दिनांक 29.07.2021

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम डोकून पटवार हल्का डोकून तहसील नैंनवां में खाता संख्या नई 125 पुरानी 124 की भूमि खसरा सं. 1334/256 रकबा 05–00 बीघा भूमि स्थित है। जिस पर वादी का हिस्सा 1/4 रकबा 01–05 बीघा भूमि है, जो वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की है। यह कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 ने 6 माह पूर्व वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर ताकत के बल पर जबरदस्ती कब्जा करके भूमि पर से वादी को बेदखल कर दिया है। अतः वादी को अधिकार प्राप्त है कि भूमि खसरा संख्या 1334/256 रकबा 5 बीघा पर वादी के 1/4 हिस्से की भूमि रकबा 01–05 बीघा पर से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादी को भूमि पर वापस कब्जा दिलवाया जावे। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी प्रदर्श–1, खसरा गिरदावरी प्रदर्श–2, नक्शा ट्रेश प्रदर्श–3, सत्यप्रतिलिपी प्रदर्श–4 तथा शपथ–पत्र, बयान आदि पेश किये।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित होने से वाद पत्र में एकपक्षीय सुनवायी की गई। हमने वाद पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज का अवलोकन किया तथा वाद पत्र में बहस सुनी गयी। वादी को उसके खातेदारी की भूमि से बेदखल किया जाना न्यायोचित नही है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम डोकून पटवार मण्डल डोकून की भूमि खसरा सं. 1334/256 रकबा 05–00 बीघा पर वादी के 1/4 हिस्से की भूमि रकबा 01–05 बीघा पर से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादी को भूमि पर वापस कब्जा दिलवाये जाने के आदेश तहसीलदार नैनवा को दिये जाते है। डिकरी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.09.13 10:47:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

Reader/Decesion/2021

Scanned with CamScanner